

Court No. - 12**Case :-** CRIMINAL APPEAL No. - 530 of 2009**Appellant :-** Mahesh**Respondent :-** State of U.P.**Counsel for Appellant :-** Neeraj Sahu,A.N. Misra,S.K. Shukla**Counsel for Respondent :-** G.A.**Hon'ble Saurabh Lavania,J.**

1. Heard learned counsel for the appellant, Sri Ajay Kumar Srivastava, learned AGA for the State of U.P. and perused the record.

2. The present appeal has been filed under Section 374 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (in short "Cr.P.C.") against the judgment/order dated 25.02.2009 passed by Additional Sessions Judge, Court No. 7, Hardoi in Sessions Trial No. 597 of 2006 arising out of Case Crime No. 257 of 2006, under Sections- 498-A, 304-B I.P.C. and Section 3/4 D.P. Act, Police Station- Hariyawan, District- Hardoi, thereby convicting and sentencing the appellant under Section 498-A for two years imprisonment and fine of Rs. 2,000/- and in default of payment of fine further to undergo two months' additional imprisonment, under Section 304-B IPC for eight years imprisonment and under Section 3/4 D.P. Act for one year imprisonment and fine of Rs. 1,000/- and in default of payment of fine further to undergo one month's additional imprisonment.

3. Brief facts of the case are as under:-

(i) The marriage between accused-appellant/Mahesh and deceased/Vidhyawati was solemnized about 2 years and 8 months back from the date of incident i.e. 10.12.2005. On 10.12.2005, the deceased committed suicide, which is apparent from the injuries sustained and opinion of Autopsy Surgeon. The injuries sustained by deceased, as indicated in the judgment under appeal dated 25.02.2009, read as under:-

"मृत्यु पूर्व आयी चोटें:-

फांसी का निशान (लिंगेचर मार्क) गर्दन पर ऊपर की तरफ तिरछा मौजूद था यह 25 सेमी0 X 2 सेमी.0 का था, बांये कान के नीचे 6 सेमी. का निशान मौजूद था। यह फांसी के गांठ की जगह होती है। निशान सख्त गढ़देदार और दबे चमड़े की तरह का था। इस निशान को खोलने पर नीचे का मांस दबा हुआ सफेद, सूखा एवं चमकदार था जिसकी किनारी पर अधिक लालिमा मौजूद थी। शरीर को खोलने पर पेट के अन्दरुनी अंग में अधिक लालिमा मौजूद थी। दांत 16/16 थे। पेट में पचास मिली. तरल मौजूद था बाकी सब कुछ सामान्य था।"

(ii) In relation to the incident, an application under Section 156(3) Cr.P.C. was preferred on 10.12.2005 making allegations against accused-appellant/Mahesh (husband) and co-accused/Ramautar & Smt. Mayavati, father-in-law & mother-in-law, respectively, of the deceased.

(iii) In compliance of the order passed on application under Section 156(3) Cr.P.C. by the concerned Magistrate, an FIR was lodged and thereafter, the charge sheet was filed by the Investigating Officer (in short "IO") against accused-appellant/Mahesh and co-accused Ramautar and Smt. Mayavati.

(iv) The Magistrate concerned thereafter took cognizance and committed the matter to the court of sessions.

(v) Before the court of sessions, accused-appellant/Mahesh and co-accused/Ramautar were tried in Sessions Trial No. 597 of 2006. Co-accused/Smt. Mayavati was tried in Sessions Trial No. 598 of 2006. It would be apt to indicate here that vide judgment, under appeal, dated 25.02.2009, both the above indicated trials were decided.

(vi) Before the trial court, charges were framed against accused under Sections 498-A, 304-B IPC and Section 3/4 D.P. Act. Upon denial of charges, the appellant and co-accused were put to trail.

(vii) To establish its case, the prosecution examined the following witnesses:-

"(1) बाबूराम (मुकदमा वादी)	पी0डब्लू0-1
(2) श्रीपाल	पी0डब्लू0-2
(3) हेड कान्स0 सुशील कुमार (लेखक एफ0आई0आर)	पी0डब्लू0-3
(4) डा0 हेमन्त कुमार (पोस्टमार्टमकर्ता)	पी0डब्लू0-4
(5) सी0ओ0 सर्वेश कुमार मिश्र (विवेचक)	पी0डब्लू0-5
(6) नायब तहसीलदार रामऔतार वर्मा (पंचनामाकर्ता)	पी0डब्लू0-6"

(viii) The aforesaid witnesses of prosecution proved the following documentary evidence:-

"(1) छायाप्रति प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0	प्रदर्श क-1
(2) चिक एफ0आई0आर	प्रदर्श क-2
(3) कार्बन कापी जी0डी0	प्रदर्श क-3
(4) पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क-4
(5) नक्शा नजरी	प्रदर्श क-5
(6) आरोप पत्र	प्रदर्श क-6
(7) आरोप पत्र	प्रदर्श क-7
(8) फर्द लेने कब्जा रस्सी प्लास्टिक	प्रदर्श क-8
(9) पंचायतनामा	प्रदर्श क-9
(10) नमूना मोहर	प्रदर्श क-10
(11) चालान लाश	प्रदर्श क-11
(12) फोटो लाश	प्रदर्श क-12
(13) चिट्ठी सी.एम.ओ.	प्रदर्श क-13
(14) चिट्ठी आर.आई.	प्रदर्श क-14"

(ix) After completion of evidence of the prosecution, the statement of accused were recorded in terms of Section 313 Cr.P.C. by the trial court, after explaining the entire evidence and circumstances, in which appellants denied prosecution story and the entire prosecution story was said to be wrong and concocted.

(x) The defence also examined the following witnesses:-

"(1) श्रीमती नीशू पत्नी वीरपाल	डी0 डब्लू0-1
(2) महेन्द्रपाल	डी0 डब्लू0-2
(3) राजनबाबू	डी0 डब्लू0-3"

(xi) Informant Baburam (PW-1) before the trial court specifically stated that demand of motorcycle and a buffalo was made by the appellant and no demand was made by co-accused Ramautar and Smt. Mayavati, father-in-law and mother-in-law, respectively, of the deceased.

(xii) The trial court after considering the evidence on record including the statements of informant-Baburam (PW-1) and Shripal (PW-2) and also the statements of witnesses of defence came to the conclusion that co-accused Ramautar and Smt. Mayavati, father-in-law and mother-in-law, respectively, of the deceased were living separately and demand of dowry was made only by the accused-appellant and not by co-accused Ramautar and Smt. Mayavati. As such, the trial court upon due consideration of the evidence on record including the post-mortem report convicted the appellant under Sections 498-A, 304-B IPC & Section 3/4 D.P. Act and acquitted co-accused Ramautar and Smt. Mayavati. The relevant portion of the judgment under appeal dated 25.02.2009 is extracted hereunder:-

"परन्तु पी0डब्लू0-1 बाबूराम व पी0डब्लू0-2 श्रीपाल व बचाव पक्ष के साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण रामऔतार व उसकी पत्नी मायावती अपने पुत्र महेश के विवाह के 6 महीने बाद से ही अलग रह रहे हैं अतः उनके द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल व भैंस की मांग किये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

जहां तक पंचम व अन्तिम तत्व का प्रश्न है तो पी0डब्लू0-1 बाबूराम वादी मुकदमा ने प्रतिपरीक्षा पृष्ठ 8 पर कहा है कि दुबारा विदा होने पर विद्यावती लगभग 6 माह तक अभियुक्त महेश के यहां रही। 6 माह बाद जब साक्षी व गांव के अन्य लोग विदा कराने गये तो अभियुक्त महेश ने विदा नहीं की तथा मोटरसाइकिल व भैंस की मांग की थी। पंचायतनामा प्रदर्श क-9 में अंकित नाम पंचान में राजनबबू डी.डब्लू-3 राम औतार, रामसागर, मेवा, विजयप्रकाश सर्व निवासीगण ग्राम भदेउरा थाना हरियावां के नाम अंकित है। यदि वादी मुकदमा व उसके गांव के अन्य लोग पंचायतनामा तक मौके पर पहुंच गये थे तो उनमें से किसी न किसी व्यक्ति को पंच नियुक्त किया जाना चाहिए था। पी0डब्लू0-1 बाबूराम व पी0डब्लू0-2 श्रीपाल ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह ग्राम भदेउरा पहुंचे तो उन्हें अभियुक्तगण के घर पर ताला पड़ा मिला उसके पश्चात खोज करते करते वह चौराह पर हरदोई पहुंचे जहां 4 बजे शाम लाश मिलने के पश्चात लाश अभियुक्तगण को दे दी गई जिन्होंने विद्यावती (मृतका) का अन्तिम संस्कार किया। उपरोक्तानुसार बचाव पक्ष का यह बचाव गलत साबित हो जाता है कि पंचायतनामा के समय व किया कर्म के समय विद्यावती के परिवारीजन उपस्थित थे। टी0 अरुन्त पेरुन जोशी बनाम राज्य (2006) 9 एस.सी0सी0 467 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया है कि मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज हेतु प्रताड़ना के लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है बल्कि यह प्रत्येक केस की परिस्थिति पर निर्भर करता है। प्रस्तुत मामले में प्रारम्भ में लेकर अंत तक अभियुक्त महेश द्वारा विद्यावती एवं उसके परिजनों से दहेज में मोटरसाइकिल व भैंस की मांग की जाती रही है और उसे इसके लिए प्रताड़ित एवं तंग किया जाता रहा था। इसलिये दहेज मृत्यु का अपराध गठित होने के लिए पंचम तत्व भी स्थापित है।

पी0डब्लू0-3 हेड कान्स0 सुशील कुमार औपचारिक साक्षी है जिसने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2 व कायमी जी0डी0 प्रदर्श क-3 को प्रमाणित किया है।

पी0डब्लू0-5 सर्वेश कुमार मिश्र सी0ओ0 ने द्वितीयक साक्षी के रूप में नक्शा घटनास्थल प्रदर्श क-5, आरोप पत्र प्रदर्श क-6 व प्रदर्श क-7 व फर्द लेने कब्जा रस्सी प्लास्टिक प्रदर्श क-8 को साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी से ऐसा कोई तथ्य नहीं उगलवाया जा सका है जो कि अभियोजन अभिकथा पर कोई कुप्रभाव डालता हो।

पी0डब्लू0-6 नायब तहसीलदार रामौतार वर्मा ने पंचायतनामा प्रदर्श क-9, नमूना मोहर प्रदर्श क-10, चालान लाश प्रदर्श क-11, फोटो लाश प्रदर्श क-12, चिट्ठी सी.एम.ओ. प्रदर्श क-13, चिट्ठी आर.आई. प्रदर्श क-14 को साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि वह घटनास्थल पर डेढ़ बजे मोटरसाइकिल से पहुंचा था। साक्षी के अनुसार उसे यह ध्यान नहीं है कि मौके पर मृतका के परिवार के लोग थे अथवा नहीं। मौके पर रामबाबू प्रधान उपस्थित थे। इस साक्षी के अनुसार उसने 2.30 बजे पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त कर दी थी। बचाव पक्ष द्वारा मृतका विद्यावती के माता पिता व मायके से किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति के सम्बन्ध में इस साक्षी से कोई प्रश्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त साक्ष्य की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त महेश द्वारा मृतका विद्यावती व उसके परिजनों से विवाह के उपरान्त से ही लगातार दहेज में मोटरसाइकिल व भैंस की मांग की जाती रही थी व इस निमित्त विद्यावती (मृतका) को प्रताड़ित एवं तंग किया जाता रहा था। निष्कर्षतः अभियुक्त महेश के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध का आरोप साबित है। अभियुक्तगण राम औतार व श्रीमती मायावती के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध का आरोप साबित नहीं है तथा वे उपरोक्त कथित अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

अभियुक्त महेश न्यायालय में उपस्थित है उसे धारा 498ए, 304बी भा.द. सं. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए अभिरक्षा में लिया जाता है। उसके बंधन पत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त कर

प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है। सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना जायेगा।

ह0 अपठनीय
(राजभान सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-7 हरदोई

दिनांक: 25.2.09

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त महेश व उसके सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त महेश की ओर से कहा गया है कि उससे बड़ा एक भाई है जो विकलांग है तथा अभियुक्त अपने वृद्ध माता-पिता के जीविकोपार्जन हेतु एक मात्र कमाऊ सदस्य है। अतः दण्ड के प्रश्न पर उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की याचना की गई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त को अधिकतम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

अभियुक्त महेश की आर्थिक व सामाजिक स्थिति तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मैं निम्न दण्डादेश पारित किया जाना समीचीन पाता हूं।

आदेश

अभियुक्त महेश को धारा 498ए भा.द.सं. में 2 वर्ष (दो वर्ष) का कारावास एवं 2000/-रु0 अर्थदण्ड व धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध में 8 वर्ष का कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध में 1 वर्ष (एक वर्ष) का कारावास तथा 1000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त महेश को धारा 498 ए भा0द0सं0 में 2 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्तगण रामऔतार व श्रीमती मायावती को धारा 498ए, 304बी भा.द.स तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उनके बंधपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त कर प्रतिभूओं को दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय व आदेश की एक प्रति सम्बन्धित सत्र परीक्षण 598/06 राज्य बनाम मायावती पर रखी जाये।"

4. In the aforesaid background of the case, the present appeal has been filed before this Court challenging the judgment and order of conviction dated 25.02.2009, under appeal.

5. Impeaching the judgment, under appeal, dated 25.02.2009, learned counsel for the appellant says that it is a case of Section 306 IPC read with Section 113-A of Indian of Evidence Act, 1872 (in short "Act of 1872"), even if it is presumed that the findings pertaining to demand of dowry are correct.

6. It is further stated that in similar circumstances, the Hon'ble Apex Court took note of the injuries sustained and altered the conviction from the offence as indicated under Section 304-B to Section 306 IPC. Reference in this regard has been made on the judgment passed by the Hon'ble Apex Court on the judgment passed in the case of *Paranagouda and another vs.*

The State of Karnataka and another reported in ***2023 SCC OnLine SC 1369***.

7. Learned AGA on the contrary submitted that in the facts and circumstances of the case particularly taking note of the statement of PW-1, who specifically indicated the name of appellant, no interference is required in the present appeal by this Court.

8. Considered the aforesaid and perused the record.

9. In the aforesaid background and the evidence on record, as already noticed hereinabove, this Court is of the view that accused-appellant is liable to be convicted for the offence punishable under Section 306 IPC though charge was not framed. The accused-appellant has already spent two years and six months in prison. He does not have any past history of criminal record. Hence, a lenient view has to be taken while imposing the sentence.

10. For the reasons afore-stated, the appeal is ***allowed in part***. The judgment and order of conviction dated 25.02.2009 passed by Additional Sessions Judge, Court No. 7, Hardoi in Sessions Trial No. 597 of 2006 arising out of Case Crime No. 257 of 2006, under Sections- 498-A, 304-B I.P.C. and Section 3/4 D.P. Act, Police Station- Hariyawan, District- Hardoi is hereby modified. The appellant/Mahesh is acquitted for the offences punishable under Section 304B IPC and Section 3 and 4 of Dowry Prohibition Act and convicted for the offence punishable under Section 306 IPC and Section 498A IPC and sentenced to imprisonment for the period already undergone with fine of Rs. 5000/- and in default to pay the fine to undergo one month simple imprisonment for each of the offence.

11. The appellant is stated to be on bail, his personal bond is cancelled and sureties are discharged.

12. Let a copy of this judgment and record be sent forthwith to the trial court concerned for compliance.

Order Date :- 13.11.2024/Arun/-